

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11641 / 3899

दिनांक :- 19-07-

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [लिंक न. 11641] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बारां - [1524] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 10/07/2018 से 19/07/2018 तक 10 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 10 दिवस

उक्त कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11641 / 3899

दिनांक :- 19-07-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बारां
2. कोषाधिकारी बारां
3. श्री/श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [11641] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बारां
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)